न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

तारीख फैसला
9.12.2023

प्र0नं0
134 / 2023

उनवान

1— रामकुमार आत्मज नन्दलाल जाति धाकड निवासी मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
2— रामनारायण आत्मज बद्रीलाल जाति धाकड निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0

(वादी)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से — श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से— तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीगण के शामलाती खाते में खाता संख्या 296 नया, 275 पुराना की खसरा नम्बर 405 रकबा 0.89 हे0 कुल 1 किता की रकबा 0.89 है0 भूमि स्थित चली आ रही है जिनमें वादी क्रम 1 का नाम रामकुंवार दर्ज है ग्राम मोरपा में खाता सं0 188 नया , 175 पुराना की खसरा नम्बर 170 रकबा 1.60 हे0, खसरा नमबर 982 रकबा 0.52 हेक्टर कुल 2 किता की 2.12 हेक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी क्रम 1 का नाम रामकुंवार ओर वादी क्रम 2 की माता का नाम सीता बाई पत्नी पन्नालाल दर्ज है जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 संलग्न है।

यह कि ग्राम मोरपा की उक्त आराजीयात में वादी क्रम 1 का नाम रामकुंवार ओर वादी क्रम 2 की माता का नाम सीता बाई पत्नी पन्नालाल दर्ज कर दिया गया है जबकि समस्त दस्तावेजों में वादी क्रम 1 का नाम रामकुमार तथा वादी क्रम 2 की माता का नाम सीता बाई पुत्री पन्नालाल है जो पुत्री की जगह पत्नी दर्ज हो गया। जिससे वादीगण को सरकार योजनाओं में किसान क्रेडीड कार्ड, नामान्तरण आदी में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि उक्त वादीगण का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र , राशन कार्ड, पेनकार्ड, बेक डायरी, आदि में वादी क्रम 1 का नाम रामकुमार ओर वादी क्रम 2 की माता का नाम सीता बाई पुत्री पन्नालाल है। वादी क्रम 1 का नाम ग्राम मोरपा की खाता सं0 286 व 188 की जमाबन्दी में वादी क्रम 1 का नाम रामकुंवार दर्ज होने से सरकारी योजनाओं का लाभ

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

भूमि सुधार के लिए किसान क्रेडीड कार्ड लेने से वंचित हो रहे है ओर वादी क्रम 2 की माता का नाम सीता बाई पत्नि पन्नालाल दर्ज होने से वादी क्रम 2 का नामान्तरण नही खुल पा रहा है। वादीगण को दस्तावेजो के आधार पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में लिखवाने का कानूनन अधिकार है इसलिये वादीगण का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि वाद कारण दिनांक 06.11.2023 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दुरूस्त नहीं करने की कहने पर पैदा हुआ।

अतः वादीगण ने निवेदन किया है कि ग्राम गोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीगण के शामलाती खाते में खाता संख्या 296 नया, 275 पुराना की खसरा नम्बर 405 रकबा 0.89 हे0 कुल 1 किता की रकबा 0.89 है0 भूमि स्थित चली आ रही है जिनमें वादी क्रम 1 का नाम रामकुंवार दर्ज है ग्राम मोरपा में खाता सं0 188 नया , 175 पुराना की खसरा नम्बर 170 रकबा 1.60 हे0, खसरा नमबर 982 रकबा 0.52 हेक्टर कुल 2 किता की 2.12 हेक्टर भूमि में वादी क्रम 1 का नाम रामकुंवार के स्थान पर रामकुमार व वादी क्रम 2 की माता का नाम सीता बाई पत्नि पन्नालाल के स्थान पर सीता बाई पुत्री पन्नालाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने व वादी क्रम 2 की माता सीता बाई के विधिक वारिसान की जॉच करते हुए नामान्तरण दर्ज करने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गयेः–

1– जमाबन्दी ग्राम मोरपा सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 296
2– जमाबंदी ग्राम मोरपा सं0 2075–2078 खाता सं0 188
3– मृत्यु प्रमाण पत्र सीताबाई
4– जमाबन्दी सीताबाई (पति) ग्राम सोनवा तह0 सीसवाली खाता सं0 108
5– पेन्शन पी.पी.ओ. 1000102
6– आधार कार्ड रामकुमार
7– आधार कार्ड रामनारायण (सीताबाई के पुत्र)
8– ग्राम पंचायत तस्दीक ग्राम पंचायत मोरपा
9– शपथ पत्र

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादी क्रम 1 का नाम रामकुंवार एवं रामकुमार एक ही व्यक्ति के नाम होना प्रकट किया है तथा वादी क्रम 2 की माता का नाम सीताबाई पत्नि पन्नालाल के स्थान पर सीताबाई पुत्री पन्नालाल किया जाना सही माना है। वादीगण द्वारा साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र एवं अन्य सहखातेदार सत्यनारायण , गणेशराम के शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत मोरपा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार जाकर ग्राम मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीगण के शामलाती खाते में खाता संख्या 296 नया, 275 पुराना की खसरा नम्बर 405 रकबा 0.89 हे0 कुल 1 किता की रकबा 0.89 है0 भूमि स्थित चली आ रही है जिनमें

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष ... अदालत
दीगोद जिला कोटा

क्रम 1 का नाम रामकुंवार दर्ज है ग्राम मोरपा में खाता सं0 188 नया , 175 पुराना खसरा नम्बर 170 रकबा 1.60 हे0, खसरा नमबर 982 रकबा 0.52 हेक्टर कुल 2 किता की 2.12 हेक्टर भूमि में वादी क्रम 1 का नाम रामकुंवार के स्थान पर रामकुमार व वादी क्रम 2 की माता का नाम सीता बाई पत्नि पन्नालाल के स्थान पर सीता बाई पुत्री पन्नालाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)